भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या** 1795

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

**महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण**

†1795. **श्री विजय कुमार हांसदाक**:

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य पुलिस को हाल ही में महिलाओं को आत्मरक्षा में प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्यों/पुलिस विभागों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

**(क)**: **से** (घ): **वर्तमान में, सरकार का देश में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।**

**भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचि के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक-व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।**

*****